न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीणा (आर.ए.एस)

मुक्दमा नम्बर :– 51 / 2024

दायर दिनांक :– 06.06.2024

निर्णय दिनांक :– 07.01.2025

उनवान

1. राजेन्द्र प्रसाद उम्र–70 साल पुत्र श्री सोहन कौम अहीर निवासी–चांदीचाना तहसील बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
2. विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सोहन कौम अहीर निवासी–चांदीचाना तहसील–बहरोड जिला – कोटपुतली–बहरोड राज.
3. रामपत पुत्र श्री सोहन कौम अहीर निवासी–चांदीचाना तहसील–बहरोड जिला – कोटपुतली–बहरोड राज.
4. श्रीकृष्ण पुत्र श्री सोहन कौम अहीर निवासी चांदीचाना तहसील–बहरोड जिला – कोटपुतली–बहरोड राज.
5. हरीश कुमार पुत्र श्री सोहन कौम अहीर निवासी–चांदीचाना तहसील–बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
6. रामप्रताप पुत्र श्री स्व. गिरधारी कौम अहीर निवासी–चांदीचाना तहसील–बहरोड जिला–कोटपुतली बहरोड राज.
7. लालाराम पुत्र श्री स्व. गिरधारी कौम अहीर निवासी–चांदीचाना तहसील–बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
8. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री स्व. गिरधारी कौम अहीर निवासी–चांदीचाना तहसील बहरोड जिला–कोटपुतली बहरोड राज.
9. राकेश पुत्र रामचन्द्र पौत्र श्री स्व. गिरधारी कौम अहीर निवासी–चांदीचाना तहसील–बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
10. राजेशं पुत्र रामचन्द्र पौत्र श्री स्व. गिरधारी कौम अहीर निवासी–चांदीचाना तहसील–बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
11. मेवा. देवी पत्नी रामचन्द्र .पुत्र वधु श्री स्व. गिरधारी कौम अहीर निवासी–चांदीचाना तहसील–बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
12. सरोज पत्नी इन्द्रपाल पुत्र मुन्शीराम पुत्र श्री स्व. गिरधारी कौम अहीर निवासी –चांदीचाना तहसील–बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
13. जयवीर पुत्र स्व. इन्द्रपाल पौत्र मुन्शीराम पुत्र श्री स्व. गिरधारी कौम अहीर निवासी –चांदीचाना तहसील–बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
14. श्योताज पुत्र हिम्मत सिंह कौम अहीर निवासी–चांदीचाना तहसील–बहरोड जिला – कोटपुतली–बहरोड राज
15. कमला पत्नी स्व. लीलाराम कौम अहीर निवासी–चांदीचाना तहसील–बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
16. सज्जन सिंह पुत्र लीलाराम कौम अहीर निवासी–चांदीवाना तहसील बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
17. शर्मिला पुत्री लीलाराम कौम अहीर निवासी–चांदीचाना तहसील–बहरोड जिला –कोटपुतली–बहरोड राज.
18. अनिता पुत्री लीलाराम कौम अहीर निवासी–चांदीचाना तहसील–बहरोड जिला – कोटपुतली–बहरोड राज.

19. राजेश पुत्री लीलाराम, कौम अहीर, निवासी–चांदीचाना तहसील–बहरोड जिला – कोटपुतली–बहरोड राज

20. कैलाश पुत्र हिम्मत सिंह कौम अहीर निवासी–चांदीचाना तहसील–बहरोड जिला – कोटपुतली–बहरोड राज.

..........वादीगण

बनाम्

1. कैलाश चंद उम्र–60 साल पुत्र फूसाराम कौग–अहीर नियासी– भीटेड़ा तहसील – बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
2. सुमेर सिंह पुत्र फूसाराम कौम अहीर निवासी – कोटपुतली–बहरोड राज. भीटेड़ा तहसील–बहरोड जिला
3. छोटा देवी पुत्री फूसाराम कौम अहीर निवासी – कोटपुतली–बहरोड राज. भीटेड़ा तहसील–बहरोड जिला
4. राजबाला पुत्री फूसाराम कौम अहीर निवासी भीटेड़ा तहसील–बहरोड जिला – कोटपुतली–बहरोड राज.
5. सत्यवीर पुत्र रामसिंह कौम अहीर निवासी भीटेड़ा तहसील–बहरोड जिला – कोटपुतली बहरोड राज.
6. शेरसिंह पुत्र रामसिंह कौम अहीर निवासी भीटेड़ा तहसील–बहरोड जिला कोटपुतली बहरोड राज.
7. मु. चम्पा देवी पत्नी रामसिंह कौम अहीर निवासी भीटेड़ा तहसील–बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
8. मनोज पुत्र पप्पू उर्फ वेदप्रकाश पुत्र रामसिंह कौम अहीर निवासी भीटेड़ा तहसील–बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
9. आशा कुमारी पुत्र पप्पू उर्फ वेदप्रकाश पुत्र रामसिंह कौम अहीर निवासी भीटेड़ा तहसील–बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
10. रीना पुत्री पप्पू उर्फ वेदप्रकाश पुत्र रामसिंह कौम अहीर निवासी भीटेड़ा तहसील–बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
11. सरोज पत्नी पप्पू उर्फ वेदप्रकाश पुत्र रामसिंह कौम अहीर निवासी– भीटेड़ा तहसील–बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
12. सावित्री पत्नी लालाराम पुत्र ताराचंद कौग–अहीर निवासी भीटेड़ा तहसील–बहरोड जिला–कोटपुतली– बहरोड राज.
13. नरेश कुमार पुत्र लालाराम पुत्र ताराचंद कौम अहीर निवासी मीटेड़ा तहसील – बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
14. सुमन पुत्री लालाराम पुत्र ताराचंद कौम अहीर निवासी– भीटेड़ा तहसील–बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
15. सुनीता पुत्री लालाराम पुत्र ताराचंद कौम अहीर निवासी– भीटेड़ा तहसील–बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
16. बाबूलाल पुत्र ताराचंद कौम अहीर निवासी– भीटेड़ा तहसील–बहरोड जिला – कोटपुतली–बहरोड राज.
17. मुकेश पुत्र रोहिताश्व कौम अहीर निवासी– भीटेड़ा तहसील–बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
18. टीनू कुमार पुत्र रोहिताश्व कौम अहीर निवासी – भीटेड़ा तहसील – बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
19. बबली पुत्री रोहिताश्व कौम अहीर निवासी– भीटेड़ा तहसील–बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.

सहायक कलेक्टर
बहरोड (कोटपुतली–बहरोड)

20. हिमांशु पुत्र टीनू कुमार नाबालिक जर्ये सरपरस्त पिता टीनू कुमार पुत्र रोहिताश्व कौम–अहीर निवासी– भीटेडा तहसील–बहरोड जिला –कोटपुतली – बहरोड राज.
21. राकेश पुत्री रोहिताश्व कौम अहीर निवासी भीटेडा तहसील–बहरोड जिला–कोटपुतली–बहरोड राज.
22. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बहरोड राज.
23. उप पंजीयक महोदय बहरोड राज.
24. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बहरोड तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज.
25. लाली पुत्री श्री ताराचंद जाति अहीर निवासी भीटेडा तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज.
26. संतोष पुत्री श्री ताराचंद जाति अहीर निवासी भिटेड़ा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड राज.

.... **प्रतिवादीगण**

दावा इश्तकरारहक व हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत 88 एवं 188 राज0 टीनेन्सी एक्ट।

उपस्थित :–

1. श्री अनिल कुमार यादव अधिवक्ता वादीगण।
2. सरकार पैरोकार प्रतिवादी सं. 22 व 23।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय हेतु पेश की गई। वकुलाय उपस्थित है। पत्रावली के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण ग्राम चांदीचाना के रहने वाले है व मृतक सोहन पुत्र बलदेव, गिरधारी पुत्र सुंडा व लीलाराम पुत्र हिम्म्त सिंह के वारीस है व प्रतिवादीगण उनके शीर्षक में अंकित पते के रहने वाले है प्रतिवादी सं. 22 तहसीलदार साहब बहरोड है प्रतिवादी सं. 23 उप पंजीयक साहब बहरोड है जो आराजी मुतनाजा के संबंध मे दस्तावेजो को तस्दीक व पंजीबद्ध करते है व प्रतिवादी सं. 24 बैंक ऑफ बडौदा शाखा बहरोड है जिनके यहाँ फूसाराम पुत्र चन्दर ने बेचान करने के बाद अपना 5/12 हिस्सा रहन रखा हुआ है इसलिए उन्हे पक्षकार मुकदमा बनाया जा रहा है। आराजी खसरा नं. हाल 794 रकबा 61 एयर, 795 रकबा 29 एयर, 796 रकबा 26 एयर वाके ग्राम चांदीचाना तहसील–बहरोड में स्थित है जो साबिक खसरा नं. 495 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा से बने है जो आराजी इस वादपत्र में आगे चलकर आराजी मुतनाजा से प्रदर्शित की जावेगी। आराजी मुतनाजा के वास्तविक खातेदार फूसाराम, रामसिंह व मोहरसिंह पुत्रान चन्दर कौम अहीर निवासी भीटेडा थे जिन्होने आराजी मुतनाजा के अपने सम्पूर्ण भाग को 27,000 रू मे जर्ये रजिस्ट्रड बयनामा के सोहन पुत्र बलदेव, गिरधारी पुत्र सुंडा को 1/2 भाग व श्योताज, लीलाराम, व कैलाश पुत्रान हिम्मत सिंह को 1/2 भाग रजिस्टूड बयनामा के दिनांक–24.07.1985 को बेचान कर दिया था व मौके पर कब्जा खरीदारान का करवा दिया था तब से खरीदारान व उनके वारिसान वादीगण आराजी मुतनाजा पर काबिज रह कर शांतिपूर्ण तरिके से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है मौके पर आज भी वादीगण काबिज है।बयनामा का इंतकाल वादीगण के नाम दर्ज नहीं हो सका था इस बाबत वादीगण ने सन् 2003 मे एक वाद पत्र श्री रामकुवार जी वकील साहब के जऐं राजेन्द्र सिंह बनाम फुसाराम के नाम दर्ज किया था लेकिन दौराने दावा कुछ प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की रिलिज डीड करवा दिया व कुछ लोगो ने बैंक मे रहन रख दिया इस कारण दावे मे बहुत सी तकनीकी खामिया पैदा हो गई इसलिए उक्त वादपत्र को न्यायालय श्रीमान की इजाजत से पुनः पेश करने की इजाजत के साथ विद्धो कर उक्त वाद

सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

पत्र नए सिरे से श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रतिवादीगण के बुजुर्गों द्वारा आराजी मुतनाजा का बेचान विधिवत तरिके से हम वादीगण के बुजुर्गो को कर दिया था उसके बाद प्रतिवादीगण के कोई अधिकार आराजी मुतनाजा में शेष नही रहे थे इसलिए बयनामा के बाद जो प्रतिवादीगण के नाम जमाबंदी मे हाल ऐन्ट्री हुई है वो गलत है व फुसाराम ने गलत ऐन्ट्री के आधार पर आराजी मुतनाजा को बैंक मे रहन रख कर गलत तरिके से ऋण ले लिया उक्त ऋण की राशि को फुसाराम की अन्य आराजी पर सिफ्ट करने के आदेश प्रतिवादी सं. 24 को दिये जावे। आराजी मुतनाजा जो गलत तरिके से प्रतिवादीगण के नाम चल रही है उसके आधार पर प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा को दिगर जगह रहन बय हिबा व मुंतकिल कर सकते है प्रतिवादीगण अगर अपने इस कुंठित इरादे मे कामियाब हो गये तो वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी व बहुवादीता बढेगी ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को इस आशय की हुक्म ईम्तनाइ दवामी से पाबंद कि जावे कि वो दौराने दावा आराजी मुतनाजा को दिगर जगह रहन बय हिबा व मुंतकिल न करे रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।वादीगण बयनामा दिनांक–24.07.1985 के आधार पर आराजी मुतनाजा के मालिक खातेदार है इसलिए उक्त बयनामे के बाद प्रतिवादीगण के नाम जिन भी जरियो से आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के नाम हुई है उन्हे निरस्त करने के आदेश देते हुए प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर आराजी मुतनाजा के 1/4 भाग का मालिक वादीगण सं. 1 लगायत 5. व 1/4 भाग का मालिक 6 लगायत 13 को, व 1/6 भाग का मालिक वादी सं. 14 श्योताज पुत्र हिम्मत सिंह को, 1/6 भाग का मालिक वादीगण सं. 15 लगायत 19 को, व 1/6 भाग का मालिक वादी सं. 20 कैलाश पुत्र हिम्मत सिंह को घोषित किया जावे व इसी प्रकार का अकंन हाल जमाबंदीयात मे किया जाने की आज्ञा फरमाई जावे। प्रतिवादी सं. 22 व 23 राज. सरकार के प्रतिनिधि है प्रतिवादी सं. 22 आराजी मुतनाजा के सम्बंध मे मुतंकिली दस्तावेजो को तस्दीक व पंजिबद्ध करते है इसलिए प्रतिवादी सं. 22 को भी जर्रे हुक्म ईम्तनाइ दवामी से पाबंध किया जावे कि वो दौराने दावा आराजी मुतनाजा के सम्बंध मे प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये गये मुतकिलि दस्तावेजो को तस्दीक व पंजीबद्ध नही करे प्रतिवादी सं. 23 को पाबंध किया जावे कि वो आराजी मुतनाजा के सम्बंध में कोई इंतकाल दर्ज नही करे। डिकी इस्तकरार हक इस अमर कि जारी की जावे की हाल खसरा नं. 794, 795, 796 वाके ग्राम चांदीचाना पर से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर बयनामा दिनांक–24.07.1985 के आधार पर आराजी मुतनाजा के 1/4 भाग का खातेदार वादी सं.1लगायत 5 को व 1/4 भाग का खातेदार वादी सं. 6 लगायत 13 को व 1/6 भाग का खातेदार वादी सं. 14 श्योताज पुत्र हिम्मत सिंह को व 1/6 भाग का खातेदार वादी सं. 15 लगायत 19 को व 1/6 भाग का खातेदार वादी सं. 20 को घोषित किया जावे व प्रतिवादी सं. 24 को आदेश दिया जावे कि फुसाराम का जो हिस्सा बैंक मे रहन रखा हुआ है उसको अन्य आराजी पर शिफ्ट कर उक्त रकबे को रहन मुक्त किया जावे। डिकी हुक्म ईम्तनाइ दवामी जारी कर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 21 को पाबंद किया जावे कि वो हाल रिकॉर्ड के गलत इन्द्राजात के आधार पर आराजी मुतनाजा को दिगर जगह रहन बय हिबा व मुतंकिल न करे प्रतिवादी सं. 22 व 23 को पाबंद किया जावे कि वो आराजी मुतनाजा के सम्बंध मे. कोई भी मुतकिलि दस्तावेज पेश होने पर उसे तस्दीक व पंजीबद्ध नही करे प्रतिवादी सं. 24 को पाबंद किया जावे कि वो आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई लोन नही देवे रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

वाद पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को द्वारा सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 21 एवं 24 लगा0 26 बाद सूचना रजिस्टर्ड सम्मन के उपस्थित नहीं आये। उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल

सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

जमाबन्दी संवत 2076 प्रदर्श सं. 01 नकल बयनामा दिनांक 24.02.1985 प्रदर्श सं. 2, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श सं. 3, नकल ऑर्डर शीट प्रदर्श सं. 4 पेश किये है।

हमारे द्वारा वादी बहस सुनी गयी। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो एवं लिखित बहस का अवलोकन किया तथा वादी की बहस का मनन किया। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में बयनामा दिनांक 24.02.1985 प्रदर्श 2 से स्पष्ट है कि फुसाराम, मोहरसिंह, रामसिंह पि0 चन्दर जाति अहीर साकिन भीटेड़ा ने आराजी खसरा नं. 495 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम चांदीचाना को मुल्य 27000/– (सताईश हजार रूपये) मे सोहन वल्द बलदेश, गिरधारी पुत्र सुण्डा 1/2 भाग बहिस्सा बराबर व श्योलाल, लीलाराम, कैलाश पि0 हिम्मत सिंह बहिस्सा बराबर 1/2 भाग जाति अहीर चांदीचाना तहसील बहरोड़ को विकय किया था। संवत् 2042 में भू–प्रबन्ध विभाग ने उक्त आराजी के हाल खसरा नं. 794 रकबा 0.61 है0, 795 रकबा 0.29 है0, 796 रकबा 0.26 है0 बनाये है। वर्तमान की जमाबंदी संवत् 2076 में विवादित आराजी खदीददार व उसके वारिसान के नाम नहीं होकर विकेतागण के अथवा उनके वारिसान के नाम दर्ज हो रही है। जिस सुरत में हाल इन्द्राजात को कलमजन कर विवादित आराजी वादीगण के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

–: आदेश :–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत आराजी खसरा नं. 794, 795, 796 वाके ग्राम चांदीचाना पर से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर बयनामा दिनांक–24.07.1985 के आधार पर आराजी मुतनाजा के 1/4 भाग का खातेदार वादी सं. 1 लगायत 5 को व 1/4 भाग का खातेदार वादी सं. 6 लगायत 13 को व 1/6 भाग का खातेदार वादी सं. 14 श्योताज पुत्र हिम्मत सिंह को व 1/6 भाग का खातेदार वादी सं. 15 लगायत 19 को व 1/6 भाग का खातेदार वादी सं. 20 को घोषित किया जाता है। उक्त आराजी के बैंक में रहन को प्रतिवादीगण की अन्य आराजी पर रहन किया जावे। प्रतिवादीगण को द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करे। इसी प्रकार से हाल भू–अभिलेख संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी करे।

आज दिनांक 07.01.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(रामकिशोर मीणा)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)